संचिका सं0–10 / वि0यो0–128 / 1998–स.क.– 1250

**बिहार सरकार**

सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय

(समाज कल्याण विभाग)

प्रेषक,

विजय कुमार वर्मा,
प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

उप- सचिव

20 AUG 2009

सेवा में,

प्रधान सचिव, सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष

पटना, दिनांक– 04.8.09

विषयः–राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभागों / कार्यालयों / निगम / निकायों की सेवा एवं पदों पर नियुक्ति हेतु विकलांग व्यक्तियों को देय 3% प्रतिशत आरक्षण के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में।

प्रशाखा-1

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं0–251 दिनांक–18.10.2000 द्वारा राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभागों / कार्यालयों / निगम / निकायो की रिक्तियों के अतंर्गत सीधी नियुक्ति में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं। उक्त आरक्षण के प्रावधान को और स्पष्ट करते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं0 62 दिनांक 05.01.2007 द्वारा दृष्टि निःशक्तता के लिए रोस्टर बिन्दु 01 से 33 तक –01 पद, मूक–बधिर निःशक्तता के लिए रोस्टर बिन्दु 34 से 67 तक 01 पद, चलन निःशक्तता के लिए रोस्टर बिन्दु 68 से 100 तक में –01 पद विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किये गये हैं। रिक्तियों के नहीं भरे जाने पर इन्हें अगले भर्त्ती वर्ष के लिए अग्रनीत किये जाने का भी प्रवधान है।

1. उक्त आरक्षित पदों के विरूद्ध अबतक कितने विकलांग व्यक्तियों को विभाग / कार्यालय / निगम एवं निकायों द्वारा नियुक्ति किये गये हैं, सम्बन्धित सूचना इस विभाग को प्राप्त नहीं है। जिस कारण निःशक्तता सम्बन्धित अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षण संबंधी विहित प्रावधान के अनुपालन की प्रगति का युक्तिसंगत आकलन नहीं हो पा रहा है।

अतएव अनुरोध है कि आपके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी सेवाओं म आरक्षित पदों पर कितने विकलांग व्यक्तियों की नियुक्तियाँ अबतक की गई है, इसकी श्रेणीवार सूचनायें/प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में संकलित तथा समाकलित कराकर इस विभाग तथा राज्य निःशक्तता आयुक्त को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि एक डाटा बेस तैयार किया जा सके। यह भी अनुरोध है कि भविष्य में की जाने वाली नियुक्तियों में सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को देय आरक्षण के प्रावधान को अनिवार्यरूप से लागू कराने की दिशा में कार्रवाई की जाय।

विश्वासभजन,

(विजय कुमार शर्मा)
प्रधान सचिव
03/08/09

D/Ramesh/Secr-4

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 33 के तहत सरकारी सेवाओं में नियोजन के लिये आरक्षण प्रावधान के तहत वांछित सूचना संकलन हेतु विहित प्रपत्र

## खंड–क (श्रेणी 1 के पदाधिकारियों के लिये)

| क्रं0 | विभाग / निगम / सरकारी संगठन का नाम | कार्यालय का नाम | कुल पदों की सं0 | कुल रिक्तियों की संख्या | कुल नियोजन की सं0 | नियोजित दृष्टिहीनों विकलांगों की सं0 | नियोजित मूक–बधिर विकलांगों की सं0 | नियोजित अस्थि विकलांगों की सं0 | नियोजित विकलांगों की सं0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

## खंड–ख (श्रेणी 2 के पदाधिकारियों के लिये)

| क्रं0 | विभाग / निगम / सरकारी संगठन का नाम | कार्यालय का नाम | कुल पदों की सं0 | कुल रिक्तियों की संख्या | कुल नियोजन की सं0 | नियोजित दृष्टिहीनों विकलांगों की सं0 | नियोजित मूक–बधिर विकलांगों की सं0 | नियोजित अस्थि विकलांगों की सं0 | नियोजित विकलांगों की सं0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

## खंड–ग (श्रेणी 3 के पदाधिकारियों के लिये)

| क्रं0 | विभाग / निगम / सरकारी संगठन का नाम | कार्यालय का नाम | कुल पदों की सं0 | कुल रिक्तियों की संख्या | कुल नियोजन की सं0 | नियोजित दृष्टिहीनों विकलांगों की सं0 | नियोजित मूक–बधिर विकलांगों की सं0 | नियोजित अस्थि विकलांगों की सं0 | नियोजित विकलांगों की सं0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

## खंड–घ (श्रेणी 4 के कर्मचारियों के लिये)

| क्रं0 | विभाग / निगम / सरकारी संगठन का नाम | कार्यालय का नाम | कुल पदों की सं0 | कुल रिक्तियों की संख्या | कुल नियोजन की सं0 | नियोजित दृष्टिहीनों विकलांगों की सं0 | नियोजित मूक–बधिर विकलांगों की सं0 | नियोजित अस्थि विकलांगों की सं0 | नियोजित विकलांगों की सं0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |